कार्यालय निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

क्रमांकः– शिविरा/प्रारं/आरटीई/सी/निःशुल्क प्रवेश सत्यापन/18878/सतर्कता/13–14(14–15)/वो–I/288 दिनांक 20.10.14

जिला शिक्षा अधिकारी

प्रारंभिक / माध्यमिक शिक्षा

....

विषयः– निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम् 2009 के प्रावधानों के अनुसार समस्त गैर सरकारी शिक्षण संस्थाओं में सत्र् 2014–15 से प्रभावी प्रवेश के लिए प्रवेश की आयु की गणना के लिए प्रवेश की तिथि निर्धारण के संबंध में।

प्रसंगः–राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.12(6)शिक्षा–5/2014 दिनांक 3.2.14, 15.3.14, 15.6.14 व 15.7.14

उपर्युक्त् विषयान्तर्गत् राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.12(6)शिक्षा–5/2014 दिनांक 3.2.14 के अध्याय–2 के बिन्दु सं. 3.1 के द्वितीय नोट **" बालक की आयु का निर्धारण विद्यालय में प्रवेश तिथि को आधार मानकर किया जाएगा।"** के संबंध में लेख है कि सत्र् 2014–15 में निःशुल्क शिक्षा हेतु प्रवेश की तिथियां राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर अपरिहार्य कारणों से बढ़ाई गई है। प्रवेश तिथि बढ़ाए जाने की स्थिति में कुछ बालकों के ओवर ऐज हो जाने की सूचना राज्यभर से निदेशालय को प्राप्त हुई है। अतः इस संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि :–

(1) 01 अप्रेल से सत्र् प्रारम्भ करने वाले गैर सरकारी विद्यालयों में जो बालक 21 मार्च 2014 को आयुसीमा में था, उसे टाईम फ्रेम में संशोधन के फलस्वरूप निर्धारित तिथी 16 अगस्त 2014 को भी आयुसीमा में ही माना जावे।

(2) 01 मई से सत्र् प्रारम्भ करने वाले गैर सरकारी विद्यालयों में जो बालक 22 अप्रेल 2014 को आयुसीमा में था, उसे टाईम फ्रेम में संशोधन के फलस्वरूप निर्धारित तिथी 16 अगस्त 2014 को भी आयुसीमा में ही माना जावे।

उक्त संबंधी निर्देश आपके अधीनस्थ समस्त ब्लॉक कार्यालयों के माध्यम् से गैर सरकारी विद्यालयों को प्रसारित करें।

Sd/-
निदेशक
प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

प्रतिलिपिः–

1. प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर।
3. उपनिदेशक प्रारंभिक शिक्षा..............................

निदेशक
प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर